मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-16

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2007 (चैत्र 8, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. बधाई

श्री ईश्वरदास रोहाणी, अध्यक्ष महोदय तथा श्री हजारीलाल रघुवंशी, उपाध्यक्ष महोदय के पाकिस्तान यात्रा से वापस लौटने पर सदन द्वारा बधाई दी गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अब प्रश्नों का द्वितीय चक्र शुरू होगा पूर्व में अनुपस्थित माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जायेंग, अगर वे उपस्थित होगें, तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 103 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 123 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने सीहोर जिले के ग्राम खामखेड़ा एवं बड़ोदिया मार्ग की जर्जर हालत होने,

(2) श्री हितेन्द्र सिंहसोलंकी, सदस्य ने इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत खरगोन जिले की बड़वाहा/भीकनगांव क्षेत्र में नहरों का कार्य धीमी गति से होने,

(३) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर का उत्कृष्ट विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,

(4) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य ने सीधी जिले के ग्राम तिल खोहरा में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर अन्यत्र लगाये जाने, तथा

(5) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य ने बैतूल जिले के अंतर्गत आमला विकास खण्ड के ग्राम मोरखा में हायर सेकेण्डरी परीक्षा के दौरान कक्षा बारहवीं के छात्रों को एक घण्टा विलंब से प्रश्नपत्र दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर,वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये,

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) तथा (राजस्व प्राप्तियां), तथा

(3) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैंठक में दो से अधिक ध्यानाकर्ष की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर में स्थित विद्युत कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

(1) सर्वश्री मेहरबान सिंह रावत, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के सबलगढ़ में अवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य ने इंदौर नगर मे स्थित गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा सदस्यों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले में मौसंबी एवं संतरे की फसल पर गमोसिस रोग का प्रकोप होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26-शिवपुरी से निर्वाचित सदस्य, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2007 को स्वीकृत किया गया है।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. कमलापत आर्य, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007),

(2) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007),

(3) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9सन् 2007),

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007),

(5) श्री राघवजी, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री ने मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007), तथा

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007),

सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किए।

12 बजकर 05 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2007 (चैत्र 9, 1929) के पूर्वाह्न 9.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.